तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30/8/23	[illegible] 21.8.23 [illegible]	Not press. नि. म. विजयपाल
12/7/23	आज दिनांक 12.7.23 को अपीलांट के अधिवक्ता श्री प्रेमचंद कुमार उपस्थित के प्रार्थना पत्र वाद शीघ्र सुनवाई पर बहसे तर्क की गयी। रेस्पोंडेन्ट के अधिवक्ता श्री दीपक कुमार बार-बार सावन [illegible] लगायी गयी लेकिन वे हाजिर नहीं आये तथा रेस्पोंडेन्ट सं. 1 व 2 श्री कृपाराम एवं बलवीरसिंह हाजिर अदालत आये। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र C.P.C 0.22 R3 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट श्रीमति गेंदी w/o सुखवी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके सभी वारिसान न्यायालय के हाजिर हुए थे इस पर हाजिर रेस्पोंडेन्ट कृपाराम व बलवीरसिंह ने भी प्रा. पत्र 0.22 R3 C.P.C के अंकित वारिसान को ही मृतक गेंदी के असल वारिसान बताये और इस बाबत आपेक्षिक पत्र सहमति स्वरूप अपने-अपने हस्ताक्षर भी अंकित किये। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों की मौजूदगी के प्रार्थना पत्र 0.22 R3 C.P.C स्वीकार किया गया तथा मृतक गेंदी के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। जिसके समर्थन में अपीलांट अधिवक्ता ने संशोधित शीर्षक पेश किया। उसे शामिल किया गया। मृतक उपरान्त मृतक गेंदी के वारिसान / संशोधित अपीलांटस ने अपील को - Not Press के खारिज करने का निवेदन किया जिसके समर्थन में अपीलांट अधिवक्ता ने आपेक्षिका पर उनकी मोहर के Not Press लिखकर अपने हस्ताक्षर अंकित कर अपील को इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया। समस्त कार्यवाही उभय पक्ष के पक्षकारों की उपस्थिति में हुई और उन्होंने इस कार्यवाही के समर्थन में आपेक्षिका पर अपने हस्ताक्षर भी अंकित किये और अपीलांट के रिनाउन्सी विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने की। अब स्थिति में मध्य नजर अपीलांट व विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के Not Press करने पर अपील को खारिज किया जाता है। पक्षकारान के खर्चे [illegible] वाद तालीम तरफीन वकिल खर्चा उभय पक्ष के [illegible] हो। आदेश सुनाया गया।	Not press Idem Hi [illegible] 12/7/2023 रूपसिंह am/ रूपसिंह अपीलांट गेंदी पत्नी सुखवी के वारिसान है। इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। रूपसिंह am/ रूपसिंह बनवारीसिंह नि. म. शेरसिंह नि. म. सावित्री

[illegible] प्राधिकारी
[illegible] (राज.)